

# संचालनालय स्वास्थ्य सेवार्ये

## छत्तीसगढ़

इन्द्रावती भवन, तृतीय तल, अटल नगर, रायपुर

क्र./टीका/2020/55  
प्रति,

अटल नगर, रायपुर, दिनांक 09/04/2020

- मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी
- जिला टीकाकरण अधिकारी

जिला—समस्त छत्तीसगढ़

विषय:- कोविड-19 के दौरान टीकाकरण से संबंधित दिशा—निर्देश।

संदर्भ:- सचिव छ.ग. का पत्र क्र./241/निस/स/2020 नवा रायपुर दिनांक 30.03.2020

—00—

उपरोक्त संदर्भित पत्रानुसार लेख है कि टीकाकरण कार्य COVID19 के दौरान यथावत जारी रखा जाना है। संस्थागत तथा आउटरीच सैशन सत्र का आयोजन किया जाना भी जारी रखना है। टीकाकरण सत्र के फिक्सड डे, फिक्सड शेड्यूल का आयोजन जारी रखें। अंगनबाड़ी केन्द्र बंद होने पर सत्र का आयोजन, स्कूल/ग्राम पंचायत भवन आदि विशेष जगहों पर किया जाना सुनिश्चित करें।

टीकाकरण से जुड़े हुये सभी लोग आवश्यक रूप से अपना परिचय—पत्र साथ में रखें ताकि आवागमन में कोई कठिनाई न हो।

लाभार्थी को सभी वैक्सीन का ससमय दिया जाना आवश्यक है ताकि वैक्सीन प्रिवेन्टेबल बिमारियों से बचा जा सके।

### टीकाकरण पूर्व

- ए०वी०डी० को वैक्सीन ले जाने के लिये जिला द्वारा पास जारी करना चाहिए, ताकि ए०वी०डी० को टीकाकरण सत्र स्थल तक जाने में कठिनाई ना हो।
- ए०वी०डी० अनिवार्य रूप से मास्क तथा Gloves का उपयोग करें।
- कोल्ड चेन हेन्डल्स द्वारा ए०वी०डी० को वैक्सीन देने के पूर्व सैनिटाईजर का अवश्य रूप से प्रयोग करें।
- प्रत्येक कोल्ड चेन प्वाइन्ट को जिला द्वारा समुचित संख्या में सैनिटाईजर की उपलब्धता सुनिश्चित किया जाना चाहिए।
- प्रत्येक टीकाकरण सत्र के पूर्व सभी लाभार्थियों को टीकाकरण सत्र स्थल तथा समय का सूचना दिया जावें। यह कार्य मितानीन के द्वारा किया जाना है।
- यदि किसी लाभार्थी को तेज बुखार, सूखी खांसी एवं सांस लेने में तकलीफ आदि की समस्या हो रही हो तो, चिकित्सा अधिकारी के सलाह के बाद ही वैक्सीन प्रदाय किया जावें।

## टीकाकरण के दौरान

- एक समय पर एक लाभार्थी को ही टीकाकृत करें।
- प्रत्येक लाभार्थी के बीच कम से कम 1 मीटर की दूरी बनाये रखना सुनिश्चित करें।
- वैक्सीनेटर द्वारा टीकाकरण सत्र प्रारंभ करने के पूर्व अपने हाथों को साबुन से धोना अनिवार्य है।
- प्रत्येक लाभार्थी को टीकाकरण के बाद, वैक्सीनेटर द्वारा सैनीटाईजर का उपयोग करना अनिवार्य है।
- वैक्सीनेटर द्वारा मास्क का उपयोग करना अनिवार्य है।
- सेफ इंजेक्टेबल प्रेक्टीसेस का टीकाकर्मी द्वारा अनुपालन करना सुनिश्चित करें।

## टीकाकरण के पश्चात

- टीकाकरण सत्र संपन्न होने के बाद सभी बायो मेडिकल वेस्ट, यथा सीरिज, नीडल आदि का लाल तथा काले बैग का उपयोग करते हुये कोल्ड चेन प्वाईन्ट में लाना सुनिश्चित करें।
- कोल्ड चेन प्वाईन्ट में नियमित टीकाकरण से संबंधित बायो मेडिकल वेस्ट प्रबंधन के दिशा-निर्देश का पालन करते हुये निराकरण करें।

क्र./टीका/2020/56

प्रतिलिपि: सूचनार्थ

1. सचिव, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मंत्रालय, अटल नगर रायपुर, छ.ग।
2. आयुक्त, स्वास्थ्य सेवायें, अटल नगर, रायपुर छ.ग।
3. संचालक, स्वास्थ्य सेवायें, अटल नगर, रायपुर छ.ग।
4. मिशन संचालक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, अटल नगर, रायपुर छ.ग।
5. SRTI WHO, पुराना हेत्थ संचालनालय परिसर, रायपुर छ.ग।
6. हेत्थ स्पेशलिस्ट, यूनिसेफ, रायपुर छ.ग।
7. वरिष्ठ कार्यक्रम अधिकारी, UNDP, रायपुर छ.ग।

राज्य टीकाकरण अधिकारी  
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें  
अटल नगर, रायपुर, ४००००  
अटल नगर, रायपुर, दिनांक ०३/०५/२०२०

राज्य टीकाकरण अधिकारी  
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें  
अटल नगर, रायपुर, ४००००